अपील सूचना अधिकार संख्या 12/2019 (RCMS 2019/00046) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर बनाम उप पंजीयक, श्रीगंगानगर

01.05.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2018 से 13 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं निर्धारित अवधि में नहीं दी गई है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/– शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.08.2018 के द्वारा कुल 13 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी एवं उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दुवार उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा अपने सूचना के अधिकार प्रार्थना पत्र में निम्न सूचनाएं चाही थी :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, तत्कालीन उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.06.2018 को थाना प्रभारी जवाहर नगर, श्रीगंगानगर को श्रीमती मोनिका द्वारा वसीयत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सहवन शब्द का प्रयोग किया है कि गंगादेवी के स्थान पर मोनिका देवी सहवन से लिखा गया है।

   सहवन शब्द पंजीयन अधिनियम की जिस धारा के अन्तर्गत लिखा गया है, उस अधिनियम की धारा की सूचना एवं प्रमाणित प्रति।
2. दिनांक 11.04.2000 से इस वसीयत निरस्तीकरण आज दिनांक 06.08.2018 तक जिस अधिकारी द्वारा सहवन शब्द का प्रयोग मोनिका देवी द्वारा लिखा गया है, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. दस्तावेज जिस द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, उस प्रस्तुतकर्त्ता का नाम व पति का नाम व पता की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. जिस अधिकारी के समक्ष निरस्तीकरण हेतु श्रीमती मोनिका देवी पत्नी भगवान दास द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. जिस कर्मकार द्वारा वसीयत निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई, उस कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
6. श्रीमती मोनिका देवी का नाम सहवन से लिखा गया है, इस पत्रावली पर कार्यवही करने वाले, पत्र प्रेषण करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

7. थाना जवाहर नगर में पत्र जिस संचार माध्यम से, जिस दिवस भेजा गया, उस दिवस व संचार माध्यम का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. दिनांक 11.04.2000 से दिनांक 06.08.2018 तक वसीयत निरस्तीकरण के सम्बन्ध में मोनिका देवी का नाम सहवन से लिखा गया है इस सम्बन्ध में जिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लिखा गया है, उस अधिकारी व कर्मचारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
9. दस्तावेज एक बार उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध होने के उपरांत उसमें संशोधन, त्रुटि हेतु जो नियम व प्रावधान बनाये गये है, उस अधिनियम का नाम, धारा व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. मूल दस्तावेज स्टाम्प पर खरीददार के नाम व हस्ताक्षर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. थाना, जवाहर नगर को जिसके संदर्भ में उप पंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा पत्र लिया गया है, सहवन बाबत, उस थानाधिकारी के पत्रांक की प्रमाणित प्रति।
12. मूल दस्तावेज व उप पंजीयक कार्यालय में रखे गये दस्तावेज का मिलान जिस अधिकारी व लिपिक द्वारा किया गया, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
13. 30/— रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित वसीयत केस संख्या की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त सूचनाओं के सम्बृन्ध में **उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 46 दिनांक 15.01.19 से अपीलार्थी को निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा बिन्दुवार चाही गई निम्नानुसार है।

1. लिपिकीय भूल होने के कारण दस्तावेज वसीयत की कार्यालय प्रति पर गंगादेवी के स्थान पर मोनिका लिखा गया, जबकि मूल प्रति पर गंगादेवी अंकित है।

2. बिन्दु संख्या 2,3,4,5,6,8 के संबंध में लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते। सूचना का

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

7. थाना जवाहरनगर के अपनिरीक्षक द्वारा स्वयं प्राप्त किया गया।

9. संशोधन पत्र के नियम की प्रति संलग्न है।

10.दस्तावेज की प्रति संलग्न है।

11—12 पत्र की प्रति संलग्न है।

13. वसीयत निरस्त की प्रति संलग्न है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

-sd-
उप पंजीयक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के तहत प्रथम

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है। इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है

चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील वापिस लौटाई जाती है कि प्रार्थी सक्षम प्रथम अपीलीय न्यायालय चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर